Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय-पंचम

शोध सार, निष्कर्ष एवं शैक्षिक सुझाव

अध्याय पंचम्

शोध सार, निष्कर्ष एवं शैक्षिक सुझाव

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

5.1 विषय प्रवेश :-

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि "आगामी 10 वर्षों में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय।" परंतु 58 वर्षों के अथक प्रयासों के उपरांत भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। शासकीय एवं अशासकीय प्रयासों के बाद मात्र 63 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की है। अभी भी बहुत अधिक बालक शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकें।

शिक्षा ही समाज और समाज की प्रगति की आधारशिला होती है। शिक्षा ही व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित कर उन्हें समाज का अर्थपूर्ण सदस्य बनाती है। सही कारण है कि देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एवं इन दोनों के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था के तहत किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यवसायिक शिक्षा का आवश्यक अंग बनकर जन-जन तक पहुँचाया जाना चाहिये, चाहे वह भारत के महानगर हो या दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र।

जनजातियाँ सभ्य समाज से दूर पिछड़ी हुई एवं समाज द्वारा शोषित जातियाँ है, जो शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से

पिछड़ी हुई है। आजादी प्राप्त कर लेने और संविधान बनने पर इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न आरंभ हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों के लिये कहा गया है कि –

''राज्य जनता के दुर्बलतम वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रयास करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।''

Regional Institute of ... LIBRARY ...opal

2. **समस्या की आवश्यकता :-**

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक विकास हेतु अनुदान प्राप्त विद्यालय संचालित है। अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों पर पर्याप्त शोध कार्य नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनजातीय समुदाय वर्तमान युग में ऐसे स्थान पर खड़ा है, जहाँ से ऊर्जा के स्त्रोतों के दोहन द्वारा मानव समाज के हित एवं प्रगति के साथ-साथ स्वयं जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति संभव है।

आज आजादी के 58 साल बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की बातें करते हुए भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग यानी आदिवासी अभी तक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ही नहीं, अपितु वंचित रहा है। आदिवासी अभी तक समाज के प्रवाह से जुड़ा नहीं है।

भारत सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए एवं आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आश्रम स्कूल की संकल्पना का विकास किया गया और हर वो सुविधाएँ आश्रम स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। इतना ही नहीं आदिवासी विद्यार्थियों का सर्वांगीण

विकास करने हेतु एक स्वतंत्र 'विकास यंत्रणा' का भी निर्माण किया गया। जो कि इन स्कूलों के विकास का मूल्यांकन कर सके।

लेकिन दुर्भाग्यवश आश्रम सकूल अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकें। अतः आश्रम स्कूलों की सद्यःस्थिति का वहाँ की शैक्षिक सुविधाओं का, गतिविधियों का एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना एवं संशोधन का एकमात्र उद्देश्य है।

इस अध्ययन द्वारा आदिवासी आश्रम स्कूलों की सद्यःस्थिति सामने आयेगी। इनकी समस्याओं के कारणों का पता चलेगा और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताये जा सकेंगे। साथ ही इसमें बदलाव लाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिये जायेंगे। जिसका उपयोग प्रशासन को होगा और वह अपनी आदिवासी विकास की रणनीति आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे।

Regional Institute LIBRARY Bhopal

3. अनुसंधान के उद्देश्य :-

अ) शासकीय आश्रम विद्यालय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों में प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

ब) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

स) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

द) शासकीय एवं अनुदानित आरम विद्यालयों का शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करके आवश्यकतानुसार सुधार हेतु सुझाव देना।

4. शोध के प्रश्न :-

1) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओं में क्या समानताऐं हैं?

2) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की गतिविधियों में क्या समानताऐं हैं?

3) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की उपलब्धियों में क्या समानताऐं है?

4) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करके उनके सुधार हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं?

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

5. शोध का शीर्षक :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक :-

''माध्यमिक स्तर की शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का अध्ययन।''

6. शोध के चर :-

किसी भी शोध कार्य में चर का अतिमहत्व हैं चरों के संबंध में समय-समय पर शिक्षाविदों ने अलग-अलग परिभाषायें दी हैं। कुछ शिक्षाविदों द्वारा चरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

गैरेट (1943) के अनुसार :- 'चर ऐसी विशेषतायें तथा गुण होते हैं, जिनमें मात्रात्मक विभिन्नतायें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, तथा जिनमें किसी एक आयाम् पर परिवर्तन होते रहते हैं।'

- **मैठसन (1973) के अनुसार** :- 'चर में ऐसी वैज्ञानिक सि्थति होती हैं, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।'

- **स्वतंत्र चर** :- साधारणतः प्रयोग जिस कारण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं।

- **आश्रित चरः**- स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है और जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है उसे आश्रित चर कहते है।

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्न चरों का उपयोग किया गया है।

- **स्वतंत्र चर** :-

  लिंगगत चर :- छात्र, छात्रायें
  स्कूल का प्रकार :- शासकीय, अनुदानित।

Regional Institute LIBRARY Bhopal

- **आश्रित चर** :-

  शैक्षिक सुविधायें,

  गतिविधियाँ,

  उपलब्धियाँ एवं

  उपलब्धि प्रपत्र।

7. शोध समस्या की सीमाएँ :-

- प्रस्तुत अध्ययन केवल नागपुर संभाग के आश्रम स्कूलों तक सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन में नागपुर संभाग के देवरी प्रकल्प की आश्रम स्कूलों को ही सम्मिलित किया गया है।
- भौगोलिक दृष्टि से इसे भंडारा एवं गोंदिया जिले तक ही सीमित रखा गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन में नागपुर संभाग के शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों को ही सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन में शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए दो शासकीय एवं चार अनुदानित आश्रम स्कूलों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1) शासकीय आश्रम शाला-खापा (खुर्द) ता. तुमसर जिला भंडारा
2) शासकीय आश्रम शाला- कोयलारी ता. तिरोड जिला गोंदिया
3) जी.ई.एस. आश्रम शाला - येरली ता. तुमसर जिला भंडारा
4) महारानी दुर्गावती शिक्षण संस्था द्वारा संचालित, स्व. इंदिराबाई मरस्कोल्हे खाजगी आश्रम शाला-पवणारखारी ता. तुमसर जिला भंडारा
5) स्व. बापूजी खाजगी माध्यमिक आश्रम शाला-आंबांगड़ ता. तुमसर जिला भंडारा
6) विकास आश्रम शाला-कवलेवाड़ा ता. गोरेगांव, जिला गोंदिया।

Regional Insti LIBR Bhopa

8. **न्यादर्श चयन :-**

- भंडारा एवं गोंदिया जिले की शासकीय आश्रम स्कूल में से दो शासकीय आश्रम स्कूलों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया।
- भंडारा एवं गोंदिया जिले की अनुदानित आश्रम स्कूल में से चार अनुदानित आश्रम स्कूलों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया।

9. **शोध उपकरण :-**

इस शोध कार्य में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोधकर्ता द्वारा निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया।

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता ने संस्थान की केस स्टडी उपकरण का उपयोग किया। संस्थान की केस स्टडी करने हेतु शोधकर्ता ने साक्षात्कार विधि का उपयोग किया। संस्थान की केस स्टडी होने के कारण शोधकर्ता को प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों का साक्षात्कार लेने की आवश्यकता थी। क्योंकि स्कूल की शैक्षिक सुविधाएँ,

गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों से ही प्राप्त हो सकती है।

इसीलिए आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग किया जायेगा।

- **शोधकर्ता द्वारा निर्मित उपकरण :-**
  - प्राचार्य की साक्षात्कार अनुसूची।
  - शिक्षक की साक्षात्कार अनुसूची।
  - छात्रों की साक्षात्कार अनुसूची।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

10. शोध उपकरण की विश्लेषण विधि :-

प्रस्तुत शोध नागपुर संभाग के शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों का चयन साक्षत्कार के लिए किया गया। शोध में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों की मदद से जानकारी एकत्र की गई। प्राप्त प्रदत्तों का आवश्यकतानुसार विश्लेषण करके सत्यता की जांच की जायेगी। फिर प्राप्त परिणामों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

11. शोध विषय के क्षेत्र की जानकारी :-

नागपुर संभाग के अन्तर्गत सात प्रकल्प सम्मिलित है। अनुसंधान द्वारा चयनित क्षेत्र देवरी प्रकल्प के अंतर्गत आता है। अनुसंधानकर्ता ने देवरी प्रकल्प के अंतर्गत भंडारा और गोंदिया जिला का चयन किया है। गोंदिया और भंडारा दोनों जिले दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में आते है। जहाँ आदिवासी जनजाति अधिक संख्या में पायी जाती है। देवरी प्रकल्प के अंतर्गत 16 शासकीय एवं 34 अनुदानित आश्रम शालाएँ है यानि कि कुल 50 आश्रम शालाएँ है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत गोंड व माड़ियाँ, कोरकू

जनजातियाँ सबसे अधिक है प्रदेश में जितनी भी जनजातियाँ रहती है। उनकी कुल जनसंख्याओं से आधे से अधिक संख्या गोंड लोगों की है। गोंड प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी नदी के किनारे रहना अधिक पसंद करते है। गोंडो के अधिकांश गांव सड़क से दूर जंगलों में बसे रहते हैं। प्राकृतिक जीवन ही उनका आदर्श जीवन है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

5.2 संस्थागत अध्ययन का सारांश :-

संस्थागत अध्ययन क्र.-1

प्रधानाचार्या अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है। स्कूल का वातावरण शैक्षिक है। स्कूल में सारी शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध है। स्कूल के सभी गतिविधियाँ कराई जाती है। स्कूल की उपलब्धियाँ समाधानकारक है।

संस्थागत अध्ययन क्र.-2

स्कूल के प्रधानाचार्य उच्च शिक्षित एवं जागरूक व क्रियाशील व्यक्ति है। स्कूल में सभी शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध है। सभी वर्ष भर की गतिविधियाँ कराई जाती है। स्कूल की उपलब्धियाँ समाधानकारक हैं।

संस्थागत अध्ययन क्र.-3

स्कूल के मुख्याध्यापक बहुत ही कठोर प्रशासक है। स्कूल में शैक्षिक सुविधाऐं परिपूर्ण नहीं है। गतिविधियाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए ही कराई जाती है। उपलब्धियाँ कुछ क्षेत्र में ठीक है किंतु कुछ क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है जैसे कि ज्ञान शोध परीक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि।

संस्थागत अध्ययन क्र.-4

स्कूल के मुख्याध्यापक को स्वयं किसी कार्य में विशेष रूचि नहीं है। प्रशासन भी ढीला है। स्कूल की शैक्षिक सुविधाऐं सिर्फ दिखाने

की है और स्कूल का वातावरण पढ़ने योग्य नहीं है। स्कूल में सामान्य गतिविधियाँ होती है किंतु विशेष गतिविधियाँ नहीं होती। उपलब्धियाँ समाधानकारक नहीं है।

Regional Institute of ... LIBRARY Bhopal

संस्थागत अध्ययन क्र.–5

स्कूल के प्रधानाध्यापक की शैक्षिक योग्यता अच्छी है किंतु उनके सारे निर्णय संस्था के अनुसार ही रहते है। स्कूल में शैक्षिक सुविधायें पर्याप्त नहीं है। गतिविधियाँ भी कम कराई जाती है एवं उपलब्धियों में भी विशेष कुछ नहीं है।

संस्थागत अध्ययन क्र.–6

स्कूल के प्रधानाध्यापक की शैक्षिक पात्रता कम है किंतु उनमें कुछ नया करने का जोश है। इन्होंने स्कूल की शैक्षिक सुविधाओं का अच्छा नियोजन किया है किंतु गतिविधियों में विशेष परिवर्तन नहीं ला सके। जिसके परिणाम स्वरूप उपलब्धियाँ भी कुछ खास नहीं है।

5.3 प्रस्तुत शोध के तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष :–

- **शैक्षिक सुविधायें :–** शासकीय आश्रम विद्यालय की शैक्षिक एवं छात्रावास की सुविधायें आश्रम स्कूल की नियमावली के अनुसार है किंतु अनुदानित आश्रम स्कूल की शैक्षिक एवं छात्रावास की सुविधायें नियमावली के अनुसार पूर्ण नहीं है।

- **गतिविधियाँ** :– शासकीय आश्रम विद्यालय में शैक्षिक, भ्रमण, खेल, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं लौंगिक शिक्षा पर आधारित बहुत सी गतिविधियाँ अच्छे से कराई जाती है। इसी तरह से अनुदानित आश्रम विद्यालयों में भी उपरोक्त सभी गतिविधियाँ कराई जाती है।

- **उपलब्धियाँ** :– शासकीय आश्रम स्कूल की शैक्षिक, खेल और विज्ञान प्रदर्शनी में उपलब्धियाँ अच्छी है किंतु अन्य ज्ञानात्मक एवं

प्रवेश परीक्षा का परिणाम संतोषजनक नहीं है। अनुदानित आश्रम स्कूलों में सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि अच्छी है किंतु इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियाँ संतोषजनक नहीं है।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

5.4 प्रस्तुत अध्ययन के शोध प्रश्न का निष्कर्ष :-

(1) शासकीय आश्रम विद्यालय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालय की शैक्षिक सुविधाओं में कोई समानताएँ नहीं है। शासकीय आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधायें नियमावली के अनुरूप है किंतु अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधायें सिर्फ रजिस्टर पर ही है।

(2) शासकीय आश्रम विद्यालय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालय की गतिविधियों में समानताएँ नहीं है। शासकीय आश्रम स्कूलों में जितनी गतिविधियाँ सम्पूर्ण वर्ष में कराई जाती है उतनी गतिविधियाँ अनुदानित आश्रम स्कूलों में नहीं कराई जाती।

(3) शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की उपलब्धियों में सिर्फ शैक्षिक उपलब्धियों में समानताएँ है। इसके अलावा शासकीय स्कूल की खेल और विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छी उपलब्धियाँ है, लेकिन अन्य में अनुदानित स्कूलों जैसी ही संतोषजनक परिस्थिति है।

(4) शासकीय आश्रम स्कूलों में प्रशासनिक विभाग से वस्तुऐं एवं अनुदान राशि के आवंटन में भ्रष्टाचार होता है।

(5) शासकीय आश्रम स्कूलों के शिक्षक अपने कार्य के प्रति अधिक क्रिशशील नहीं है।

(6) अनुदानित आश्रम स्कूलों के भवनों से लेकर शैक्षिक सुविधाओं तक अपर्याप्तता दिखाई पड़ती है।

(7) अनुदानित आश्रम स्कूलों के भवन काफी छोटे हैं।

(8) अनुदानित आश्रम स्कूलों में मुख्याध्यापक से लेकर शिक्षकों तक संस्था के प्रभाव में कार्य करना पड़ता है।

(9) अनुदानित आश्रम स्कूल में मुख्याध्यापक वहीं रहता है जो संस्थापक के अनुसार कार्य करता है।

(10) अनुदानित स्कूलों में संस्थापक का हस्तांतरण अधिक होता है।

(11) अनुदानित आश्रम स्कूलों में छात्रों को भोजन भी निम्न स्तर का दिया जाता है।

(12) अनुदानित आश्रम स्कूलों में छात्रों को जो सुविधायें दी जाती है उनका स्तर भी हल्के दर्जे का है।

(13) अनुदानित आश्रम स्कूलों में नियमित अध्यापन की कमी है। जिसका सीधा परिणाम उनकी उपलब्धियों पर होता है।

(14) अधिकांश अनुदानित आश्रम स्कूलों में क्रीड़ा शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को खेलों में विशेष रूचि नहीं है वह खेल प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। उसका सीधा प्रभाव छात्रों के शारीरिक विकास पर होता है।

(15) अनुदानित आश्रम स्कूल के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी प्रत्येक कार्यविधि के पीछे व्यावसायिक लाभ की आशा छिपी हुई है।

5.5 अनुसंधानकर्ता के सुझाव :-

आदिवासी विकास विभाग का सुझाव :-

Regional Inst LIBR Bhop

i) आश्रम स्कूल निजी शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए अनुमति देने से पूर्व उसकी स्वयं की माली हालत देखना जरूरी है।

ii) अनुदानित आश्रम स्कूल को जो अनुदान दिया गया है उसका सही तरीके से विनियोग हुआ की नहीं इसकी सही जानकारी प्राप्त कर लें।

iii) आदिवासी विकास विभाग द्वारा और प्रकल्प विभाग द्वारा सतत्।

सर्वेक्षण होना चाहिए।

iv) सर्वेक्षण में जिन अनुदानित स्कूलों में सही कार्य नहीं दिखाई दिया उसकी मान्यता रद्द कर देना चाहिए।

v) अनुदानित आश्रम स्कूलों के सभी पदों की भर्तियाँ आदिवासी विकास विभाग ने स्वयं लेनी चाहिए तथा उन सभी पर नियंत्रण विभाग स्वयं करें।

आश्रम विद्यालयों (शास.एवं अनुदानित) के प्राधानाध्यापकों के सुझावः-

i) प्रधानाध्यापक स्कूल का सेनापति होता है और वह चाहें तो स्कूल एवं छात्रों को उस ऊँचाई तक पहुँचा सकता है जहाँ उन्हें जाना चाहिए।

ii) सभी शिक्षकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

iii) शिक्षकों का विश्वास, प्यार व स्नेह प्राप्त करना चाहिये।

iv) आश्रम के बच्चों को प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उनका विश्वास जीतकर उनमें ज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं भूख पैदा करना चाहिए।

v) छात्रों के लिए जो अनुदान एवं सुविधाएँ आती है उन्हें सही प्रमाण में आवंटित करना चाहिए।

vi) छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें उत्तम जीवन शैली का ज्ञान कराना चाहिए।

vii) छात्रों के मनोरंजन एवं खेल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।

viii) छात्रों में वैज्ञानिक शोध की नई दृष्टि विकसित करनी चाहिए।

Regional Institute LIBRARY Bhopal

ix) अंत में प्रधानाध्यापक ने छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सत्त प्रयत्नशील रहना चाहिये।

Regional Insti LIBR Bhop

शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों के शिक्षकों का सुझावः-

i) शिक्षक जग का निर्माता होने के नाते छात्र के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक ने अपने ऊपर लेनी चाहिये।

ii) छात्र की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करें।

iii) छात्रों की पढ़ाई में हर संभव मदद करें।

iv) छात्रों के साथ स्नेह पूर्वक पेश आये एवं उनका स्नेह एवं विश्वास अर्जित करने का प्रयास करें।

आश्रम स्कूलों के विद्यार्थियों को सुझाव :-

i) आश्रम स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा का अवसर आपको प्राप्त हुआ है उसका फायदा उठाओं। क्योंकि यही एक आशा की किरण है जो आपके अंधकारमय जीवन में रोशनी की किरण ला सकती है। आखिर पीढ़ियों के चलते आ रहे अंधकार को चीरने के लिये रोशनी की एक किरण ही काफी होती है।

ii) अगर आपको कोई संकल्पना नहीं समझी हो तो शिक्षक को बेहिचक जाकर पूछों।

iii) अगर आपको भोजन, खेल या पढ़ाई के संदर्भ में कोई भी समस्या आती हो तो प्रधानाध्यापक से जाकर कहो।

iv) अपने आरोग्य के बारे में जागरूक रहो।

v) नित्य व्यायाम करो।

vi) प्रतिदिन स्वास्ध्याय करों।

vii) पढ़ने की आदत डालो।

viii) बुरी आदत छोड़ कर अच्छी आदतों का विकास करो।

ix) स्वावलंबन सीखों।

5.6 भावी शोध हेतु सुझाव :-

प्रस्तुत शोध समस्या में शोध समस्या में शोधकर्ता ने शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओ, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिसके अंतर्गत अनुदानित एवं शासकीय आश्रम विद्यालयों तीनों क्षेत्र में समानताएँ दिखाई नहीं दी। दोनों शालाओं के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। उन कारणों को जाँचने का प्रयास अनुसंधनकर्ता द्वारा किया गया और उसमें कुछ तथ्य सामने आये। किंतु संशोधन की मर्यादा के कारण अधिक ठोस तथ्य सामने नहीं आ सकें।

यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें और संशोधन हो सकता है। अगर कोई शोधकर्ता इस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहता हो तो उसके लिए निम्न सुझाव हैः-

1) आश्रम स्कूलों एवं सामान्य स्कूलों में अध्ययनरत् आदिवासी छात्र का भावी भविष्य के दृष्टिकोण का अध्ययन।

2) आश्रम स्कूल एवं सामान्य स्कूलों के शिक्षकों का अध्यापन रूचि का अध्ययन।

3) आश्रम स्कूल में अध्ययनरत् आदिवासी छात्रों के परिवारिक पार्श्वचित्र का अध्ययन।

4) आदिवासी शिक्षकों के शैक्षिक पार्श्वचित्र का अध्ययन।

5) सफल आदिवासी छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का विकासात्मक अध्ययन।

6) आदिवासी अधिकारियों के शैक्षिक पार्श्वचित्र का अध्ययन।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal